एन एल एम करे उद्यमियों की भेड़, बकरी पालन की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद

पशुपालन के दायरे का विस्तार करके उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने और रोज़गार पैदा करने के लिए, भारत सरकार का राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन एल एम) पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास के लिए एक योजना चला रहा है। इसमें उद्यमियों को भेड़ और बकरी पालन को व्यावसायिक स्तर पर शुरू करने में मदद करना शामिल है, इसके लिए उन्हें पूंजीगत लागत के 50% तक (50 लाख रुपये तक सीमित) की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर अपने उप-मिशन के तहत, एन एल एम का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उपज के लिए आगे और पीछे की व्यापारिक कड़ियां बनाने के लिए उद्यमी को विकसित करना है और इसे संगठित क्षेत्र से जोड़ना है।

यह योजना 2021-22 वित्तीय वर्ष में पूरे भारत में लागू की गई थी। यह योजना राज्य के पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है।

योजना के उद्देश्य

- छोटे जुगाली करने वाले क्षेत्र में उद्यमियों का विकास करना।
- भेड़ और बकरियों पर एक स्थायी व्यापार मॉडल विकसित करना।
- एकीकृत ग्रामीण भेड़-बकरी उत्पादन प्रणाली के विकास के लिए निजी व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ), किसान सहकारी संगठनों (एफ सी ओ), संयुक्त देयता समूहों (जे एल जी), स्वयं

सहायता समूहों (एस एच जी) और धारा 8 कंपनियों को प्रोत्साहित करना।

- उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देने और फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (आगे और पीछे की कड़ी) के माध्यम से छोटे जुगाली करने वाले क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में बदलना।
- वैज्ञानिक पालन पद्धतियों, पोषण और रोग निवारण आदि के बारे में जागरूकता फैलाना।
- भेड़ और बकरी पालन के स्टाल-फीडिंग मॉडल को बढ़ावा देना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- निजी व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ), किसान सहकारी संगठनों (एफसीओ), संयुक्त देयता समूहों (जे एल जी), स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) और धारा 8 कंपनियों को एकमुश्त पूंजी सब्सिडी के माध्यम से उद्यमियों का सृजन।
- उद्यमी/पात्र संस्थाएं न्यूनतम 500 महिलाओं और 25 पुरुषों के साथ भेड़ और बकरी प्रजनन इकाइयां स्थापित कर सकती हैं। बकरी के दूध, मांस और बढ़िया ऊन की गुणवत्ता के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली उच्च आनुवंशिक किस्म के साथ भेड़ और बकरी इकाई की स्थापना की जाएगी।
- केंद्र सरकार परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए 50% तक बैक-एंडेड सब्सिडी प्रदान करेगी।
- उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण से करनी होगी।

सहायता का प्रतिरूप

दो किश्तों में कुल 50% पूंजीगत सब्सिडी (50 लाख रुपये तक सीमित)। सब्सिडी दो समान किश्तों में प्रदान की जाती है।

पहली किश्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा अनुसूचित बैंक या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) जैसे वित्तीय संस्थानों को बैंक या वित्तीय संस्थान के बाद उद्यमी/पात्र संस्थाओं के खाते में जमा करने के लिए जारी की जाती है। लाभार्थी को ऋण की पहली किश्त जारी करता है और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एस आई ए) द्वारा इसकी पुष्टि करता है। परियोजना के पूरा होने और एस आई ए द्वारा प्रमाणन के बाद लाभार्थी सिडबी द्वारा दूसरी किश्त जारी करने के पात्र होंगे।

स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाना चाहिए जहां उद्यमियों/पात्र संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किश्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाती है जहां लाभार्थी का खाता है।

सब्सिडी तभी जारी की जाती है जब लाभार्थी ने बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना के लिए 25% लागत का खर्च किया हो और एस आई ए द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और एस आई ए द्वारा सत्यापन के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी।

स्व-वित्तपोषण प्रणाली द्वारा उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को सब्सिडी से परे परियोजना की शेष लागत के लिए तीन साल के लिए वैध अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के नाम से प्रदान की जाती है।

मूल बैंक गारंटी को एस आई ए की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा, बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है।

कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है।

पात्र संस्थाएं

निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ), किसान सहकारी संगठन (एफ सी ओ), संयुक्त देयता समूह (जे एल जी), स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) और धारा 8 कंपनियां।

परियोजना की निगरानी

एस आई ए इसके संचालन के संबंध में पूरा होने के बाद दो साल की अवधि के लिए परियोजना की निगरानी करेगी।

योजना के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट https://nlm.udyamimitra.in पर उपलब्ध है।